न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 2/2023
GCMS नम्बर – 2023/94

पंजीयन दिनांक – 10.04.2023
निर्णय दिनांक – 15.05.2024

श्रीमती तखत पत्नी स्व.लेम्बजी पाटीदार निवासीसुरपुर पटवार हल्का सुरपुर तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.) –

प्रार्थिया

बनाम

1. श्री गोकुल पिता कुरा पाटीदार निवासी सुरपुर पटवार हल्का सुरपुर तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती गंगा पत्नी गोकुल पाटीदार निवासी सुरपुर पटवार हल्का सुरपुर तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्री सरकार जरिये लेण्डहोल्डर तहसीलदार तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.) –

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत

उपस्थिति :–1. श्री अल्लाहनुर मंसूरी, अधिवक्ता– प्रार्थिया
2. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2
3. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 3

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया की और से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थिया के पति के संयुक्त खाते की एवं कब्जे काश्त की आराजी मौजा सुरपुर में स्थित है । प्रार्थिया एवं उसका परिवार काश्तकार है तथा काश्त से ही अपना जीवन यापन करते है । प्रार्थिया का मौजा सुरपुर के खसरा नंबर 1 रकबा 103 बीघा 08 बिस्वा की बिलानाम भूमि में से 3–00 बीघा पर अपने पति के समय से काबिज होकर काश्त करती हुई आ रही है । प्रार्थिया के कब्जे काश्त की आराजी के चारो और थूअर की बाड़ एवं पालिया आदि डाली जाकर सुरक्षित है तथा कब्जे वाली आराजी पर मकान बना हुआ है एवं ट्यूबवेल खुदी हुई है । प्रार्थिया द्वारा इसमें काश्त की जाती है एव इसकी पेनल्टी अदा की गई है । विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से बिलानाम आराजी खसरा नंबर 1 जिसका रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा है में से अपने नाम से रकबा 2–00 बीघा भूमि का आवंटन करवाया है जिसका बढता नंबर 1785/1 कायम हुआ एवं वर्तमान खतौनी सवत 2078 वर्ष 2021 के खाता नंबर 110/1 का खसरा नंबर 1885/31 कायम हुआ है । मिसल बंदोबस्त में तुलनात्मक नंबर 10–12 बनाए गये उसमे से किसी एक तुलनात्मक नंबर 31 मे उपरोक्त आवंटन का अमल दरामद कर नवीन नक्शे मे तरमीम कर दी गई जो पुराने नक्शे में बताये गए स्थान से बिलकुल अलग है । गलत पैमूदगी की जानकारी होने पर प्रार्थिया की ओर से उपखंड अधिकारी डूगरपुर के न्यायालय मे इन्द्राज दुरुस्ती नक्शे मे पैमूदगी गलत हो जाने से पूर्वानुसार दुरस्त किये जाने एव स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का वाद प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 33/2022 जेर कार्यवाही है । विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से गलत पैमूदगी के आधार पर वाद अंतर्गत धारा 188,89,91 सपठित 209 राज काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थिया एवं अन्य पर वाद उपखंड अधिकारी डूगरपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है जो प्रकरण संख्या 82/2022 रेवेन्यू होकर जेर कार्यवाही है । प्रार्थिया के कब्जे की आराजी से सटकर प्रार्थिया के परिजन के साथ सयुक्त खाते की आराजी खसरा नंबर 30 स्थित है । विपक्षी संख्या 1 व 2 के आवंटन मे आवंटन नियमो की पालना नहीं हुई है एवं मौका निरीक्षण नही किया गया है जिससे किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रार्थिया के कब्जे की भूमि रकबा 3–00 बीघा का आवंटन नियमन हेतु आदेश प्रदान करना फरमावे ।

प्रार्थिया के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए वास्ते जवाब हेतु तलब किया गया । विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता नियुक्त किये गए तथा विपक्षी संख्या 3 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए ।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के क्रम में बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया । विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थिया एवं उसके परिवार का काश्त से ही जीवन यापन करना असत्य है चूँकि प्रार्थिया का पुत्र श्री ईश्वरलाल पाटीदार राजकीय सेवा में होकर अध्यापक के पद पर कार्यरत है । प्रार्थिया का मौजा सुरपुर के खसरा नंबर 1 के रकबा 103 बीघा 08 बिस्वा भूमि के रकबा 3 बीघा पर कब्जा होना अस्वीकार है । प्रार्थिया के कब्जे की भूमि का वो पूर्व में ही आवंटन किया जा चुका है जिसे उसके द्वारा विक्रय कर दिया है । प्रार्थिया के परिवार की सयुंक्त खातेदारी में खसरा संख्या 30 है जिस छोटे टुकड़े के खसरा को आधार बना प्रार्थिया अब विपक्षी संख्या 1 व 2 के आवंटित भूमि पर भी अपना हक स्थापित करना चाहती है । प्रार्थिया महिला होकर अपने परिवार की अन्य महिला सदस्य के दम पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को बेवजह एवं जमीन को हडपने की नियत से हैरान व परेशान कर रहे है । विपक्षी संख्या 1 व 2 को नियमानुसार भूमि का आवंटन किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है जिस अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है तथा आवंटन शर्तो की पालना करने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये गए है । आवंटन के करीब 18 वर्षो के पश्चात् अब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति करना उचित नहीं है । पक्षकारो के मध्य परस्पर वाद संख्या 33/2022 एवं 82/2022 उपखंड अधिकारी डूंगरपुर के न्यायालय में कार्यवाही में होना सही है । प्रार्थिया का पुत्र राजकीय सेवा में होकर प्रार्थिया भूमिहीन की श्रेणी में नहीं होने से आवटंन की अधिकारी नही है । विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित किए गए खसरे की भूमि का क्षेत्रफल काफी बडा है जिससे प्रार्थिया के कथित कब्जे की भूमि का ही आवंटन कर देना सही नही है। पक्षकारो के मध्य आवंटित भूमि को लेकर परस्पर नियमित वाद उपखंड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें साक्ष्य उपरांत विधिक निर्णय पारित किया जाएगा। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थिया अस्वीकार किया जावे ।

प्रार्थिया की ओर से दिनांक 08.05.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जादी के क्रम में उभय पक्षो को सुना गया। किसी पक्षकार के हित में मौका रिपोर्ट तलब कर न्यायालय साक्ष्य का सृजन करना उचित नही मानता है जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थिया मौका निरीक्षण बाबत अस्वीकार किया जाता है। इसके पश्चात् प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14 (4) बाबत प्रार्थिया एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्तागण की बहस समायत की गई । प्रार्थिया के योग्य अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं लिखित बहस पेश कर कथन किया कि प्रार्थिया का मौजा सुरपुर के गत खसरा संख्या 1 के रकबा 103 बीघा 08 बिस्वा बिलानाम भूमि में से रकबा 3–00 बीघा भूमि पर विगत करीब 50 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थिया द्वारा इस भूमि की पेनल्टी जमा कराई जाती है । इस भूमि में से विपक्षी संख्या 1 व 2 को 2–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है । विपक्षी संख्या 1 व 2 को भूमि आवंटन करने से पहले पटवारी अथवा आवंटन समिति द्वारा मौका नहीं देखा गया है । यदि मौका देखा जाकर आवंटन किया गया होता है तो विपक्षीगण को उक्त भूमि का आवंटन संभव नहीं रहता । आवंटिगण को मौके पर आवंटित भूमि का कब्जा नहीं सौपा गया है एवं न ही आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है । आवंटित भूमि पर प्रार्थिया का पुराना कब्जा है एवं इसके नक्शा व पैमूदगी को लेकर न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरपुर में वाद प्रार्थिया एवं आवंटीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए है जो कार्यवाही में है । आवंटिगण द्वारा अपनी भूमि का रूपांतरण

करा लिया है । आवंटित भूमि पर प्रार्थिया की बाड है, पालिया है, मकान बना है एवं ट्यूबवेल है । प्रार्थिया के अधिवक्ता ने प्रस्तुत फोटोग्राफस, धारा 91 लै0रे0 एक्ट की नोटिसेज एवं पेनाल्टी जमा कराने की रसीदात इत्यादि की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए विपक्षीगण को नियमो के विरुद्ध आवंटन होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थिया का स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गे उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर प्रार्थिया के नाम आवंटन नियमन करने का आदेश प्रदान किया जावे ।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थिया द्वारा झूंठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रार्थिया का पूर्व में मौजा सुरपुर की तत्कालीन आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 103 बीघा 08 बिस्वा की जिस भूमि पर कब्ज़ा था उसका तो पूर्व में ही आवंटन हो गया तथा प्रार्थिया व उसके परिवार द्वारा इसे भारी राशि लेकर भू व्यवसायी को विक्रय कर दी है जिसकी नक़ल जमाबंदी खाता संलग्न की है । प्रार्थिया की सह–खातेदारी में अब मात्र खसरा संख्या 30 ही शेष है जिसकी आड़ में अब वह पुनः पडौसी खसरा संख्या 3 की शेष रही बिलानाम भूमि एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि पर जबरन कब्ज़ा करना चाहती है जो उचित नहीं है । विपक्षी संख्या 1 व 2 को प्रशासन गाँवो के संग अभियान वर्ष 2006 में आयोजित शिविर में मजमे आम में भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द करते हुए राजस्व अभिलेखों में अंकन किया गया है । आवंटिगण आवंटन एवं कब्ज़ा सुपुर्द करने की दिनांक से ही मौके पर काबिज होकर आवंटन शर्तो की पालना कर रहे है तथा इसी कारण उन्हें खातेदारी अधिकारी भी प्रदान किये गए है । प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित मौजा सुरपुर के खसरा संख्या 1 का रकबा प्रार्थना पत्रानुसार 103 बीघा 08 बिस्वा एवं 31 बीघा 16 बिस्वा होना बताया है जो बड़ा क्षेत्रफल होकर इसमें विपक्षी संख्या 1 व 2 को मात्र 2–00 बीघा का ही आवंटन किया गया है जिससे यह नहीं कहा जा सकता है की प्रार्थिया के कथित कब्जे की भूमि का ही विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन किया गया है । विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क है कि प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मुख्य वजह यह रही है कि प्रार्थिया व उसका परिवार सरकारी भूमियो पर कब्जा कर विक्रय करने का आदी हो मौजा सुरपुर की चारागाह भूमि खसरा संख्या 362 में अतिक्रमण करने बाबत विपक्षी संख्या 1 द्वारा जिला कलक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र दिनांक 18–09–2022 को प्रस्तुत करने से प्रार्थिया व उसका परिवार नाराज चल रहा था जिसे लेकर परेशान करने के उद्देश्य से ही आवंटन निरस्त कराने बाबत असत्य आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता का तर्क है कि विपक्षीगण के उक्त आवंटन करने में Misrepresentation & fraud का कोई तथ्य नहीं है एवं ना ही concealment of facts है । आगे यह भी कथन किया है कि land in illegal possession can not be treated as occupied land and can be allotted. विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित किए खसरा का क्षैत्रफल बडा है तथा इसमें यह प्रमाणित नही होता है कि प्रार्थिया के कथित कब्जे की भूमि का ही विपक्षीगण को आवटंन किया गया है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 के आवंटन में ऐसा कोई दृस्टव्य एवं विधिक बिंदु नहीं है जिसके आधार पर आवंटन में हस्तक्षेप किया जाकर इसे निरस्त किया जा सके । वैसे भी पक्षकारो के मध्य उक्त भूमि के विवाद को लेकर न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरपुर में राजस्व वाद प्रस्तुत किए जाकर उनमें कार्यवाही विचाराधीन है तो इस प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थिया भूमि आवंटन निरस्त कराने की अधिकारी नही है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदी, प्रार्थिया द्वारा चारागाह भूमि में अतिक्रमण बाबत कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति, प्रार्थिया के पुत्र श्री ईश्वरलाल के सरकारी नौकरी में होने का प्रमाण एवं पुलिस समझौता पत्र की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थिया का निरस्त किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटन यथावत रखने निवेदन किया ।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

मेरे द्वारा उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन करते हुए पत्रावली का अधोपरांत अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत रेकार्डो को देखा गया । प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत तर्क में मात्र यही कथन किया है की मौजा सुरपुर के बिलानाम खसरा संख्या 1 में उनका रकबा 3–00 बीघा भूमि में पुराना कब्जा है तथा भूमि को बगैर मौका निरीक्षण किये एवं नियमो के विपरीत विपक्षी संख्या 1 व 2 को रकबा 2–00 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया है जिसे निरस्त किया जावे । प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रेकोर्ड एवं किये गए आवंटन में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रही है जिससे यह प्रमाणित हो कि विपक्षी संख्या 1 व व 2 को नियमो के विरुद्ध आवंटन किया गया हो अथवा विपक्षी/आवंटिगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हो। विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गए आवंटन के खसरे का क्षेत्रफल बड़ा है तथा इसमें आवंटन मात्र 2–00 बीघा भूमि का किया गया है । प्रस्तुत तथ्यो, बहस एवं रेकार्ड के अनुसार यह पाया जाता है कि वर्णित भमि के विवाद को लेकर पक्षकारो द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी डूंगरपुर में नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत किये गये है जिससे उक्त प्रकरणो में साक्ष्य एवं सुनवाई उपरांत निर्णय पारित किया जावेगा। हस्तगत प्रकरण में हमें मात्र आवंटन बाबत प्रस्तुत प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करना है। मेरे विनम्र मत अनुसार विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को किये गए आवंटन में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे कि किये गए उक्त आवंटन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता रहे ।

फलतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मौजा सुरपुर के तत्कालीन खसरा नम्बर 1 में विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को किया गया रकबा 2–00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन जिसका खसरा संख्या 1765/1 कायम होकर वर्तमान खसरा संख्या 1885/31 कायम हुआ है का आवंटन निरस्त कराने बाबत प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को एतदद्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटन यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)